


24

मध्य प्रदेश

जिला - विदिशा
पक्षकारों एवं अभिमा
आदि के हस्ताक्षर



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्र०क० / 2018 निगरानी - 2961 / 2018 / विदिशा / भू-र

श्री. व. क. शुक्ला का
द्वारा आज दि. 15-5-18
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 28-5-18।
जि. ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर
15-5-18

V.K. SHUKLA
15/5/18

T.C. गजरा
Rajendra
20/5

1. जितेन्द्र सिंह राजपूत पु० श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम आटासेमर
2. धनवीर सिंह पु० श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 38 वर्ष, निवासी आटासेमर
3. गोलेन्द्र सिंह पु० श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 36 वर्ष, निवासी आटासेमर
निवासी गण ग्राम आटासेमर तह० गंज बासौदा जिला विदिशा (म०प्र०)

..... आवेदक निगरानीकर्ता
विरुद्ध

1. रामकृष्णी परिज श्री खिलान जाति चिढार
2. कल्याण पु० खिलान जाति चिढार
3. गीतू पुत्री खिलान जाति चिढार निवासी गण ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म०प्र०)
4. बड्डी उर्फ बाबूलाल पु० मुनीरा जाति गेहतर निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म०प्र०)
5. वन्तू पुत्र मुलाब जाति धानक निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म०प्र०)
6. रूपा पुत्र कुडोरा जाति हरिजन निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म०प्र०) अनावेदक गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० नू०रा०सा० 1959 के अंतर्गत आदेश दिनांक 18.03.18 प्र०क० 103ए 74/17-18 व मामले जांच आवेदन शासन वनाय जितेन्द्र सिंह आदि ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा म० प्र० न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील बासौदा जिला विदिशा म० प्र० !

माननीय महोदय,

आवेदक गणों के नाम से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

3
जितेन्द्र सिंह

निरंतर...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2961/2018/विदिशा/भू.रा.

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री व्ही.के. शर्मा एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>प्रशासकीय सदस्य</p>